20/5/26 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि एक प्रा. पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का ख. नं. 5135 से 5145 कुल किता 6 वाके ग्राम करना करौली पेश किया। उभयपक्षकारान् को तलब किया जाकर जवाब लिया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करने व बहस पर मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि विवादित आराजी में उभयपक्ष द्वारा भूखण्ड बना कर विक्रय किए जा रहे हैं। भूमि का स्वरूप बिना सक्षम स्तर से स्वीकृती लिए कृषि से अकृषि किया जा रहा है जो काश्तकारी अधिनियम के विपरीत है। ऐसी स्थिति में प्रा. पत्र न तो प्रथम दृष्टया साबित होता है और न ही अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन साबित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म जारी म
	उक्त समस्त परिस्थितियों को मदयनजर रखते हुए प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाता है। TDR करौली को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी के संबंध में पृथक से RT Act के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो। 2/11 उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	